नारी धर्मशास्त्र-१

१. ओखली, मूसल, झाड़, सिल, चक्की और द्वारकी चौखट (दहलीज) -इनके ऊपर स्त्रीको कभी नहीं बैठना चाहिये-

नोलूखले न मुसले न वर्द्धन्यां दृषद्यपि।
न यन्त्रके न देहल्यां सती च प्रवसेत्क्वचित् ॥

आदि शङ्कर वैदिक विद्या संस्थान
दूरभाष: 9044016661

(शिवपुराण, रुद्र० पार्वती ०५४।३८)

नोलूखले. .....सती चोपविशेत्क्वचित् ॥

(स्कन्दपुराण, ब्रह्म ० धर्मा ०७।३१)

२. पतिकी आयु बढ़नेकी अभिलाषा रखनेवाली पतिव्रता स्त्री हल्दी, रोली, सिन्दूर, काजल आदि; चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि; केशोंको सँवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ-कानके आभूषण-इन सबको अपने शरीरसे दूर न करे-

हरिद्राकुं कुमं चैव सिन्दूरं कज्जलादिकम्।
कूर्पासकं च ताम्बूलं माङ्गल्याभरणादिकम्॥
केशसंस्कारकबरीकरकर्णादिभूषणम्।
भर्तुरायुष्यमिच्छन्ती दूरयेन्न पतिव्रता ॥

(शिवपुराण, रुद्र० पार्वती०५४।३४-३५)

३. जो स्त्री अपने पतिकी आज्ञा लिये बिना ही व्रत-उपवास करती है, वह पतिकी आयु हरती है, जीते-जी दुःख पाती है और मरनेपर नरकमें जाती है-

पत्यौ जीवति या नारी उपोष्य व्रतमाचरेत्।
आयुष्यं हरते भर्तुः सा नारी नरकं व्रजेत् ॥

(पाराशरस्मृति ४।१७)

जीवेद्भर्त्तरिया नारी उपोष्य व्रतचारिणी।
आयुष्यं हरते भर्तुः सा नारी नरकं व्रजेत् ॥

(अत्रिसंहिता १३६-१३७)

पत्यौ जीवति या योषिदुपवासव्रतं चरेत्।
आयुः सा हरते भर्तुर्नरकं चैव गच्छति ॥

(विष्णुस्मृति २५)

कुर्यात्पत्यननुज्ञाता नोपवासव्रतादिकम्।
अन्यथा तत्फलं नास्ति परत्र नरकं व्रजेत् ॥

(शिवपुराण, रुद्र० पार्वती ०५४।२९)

व्रतोपवासनियमं पतिमुल्लङ्घ्य याऽचरेत्।
आयुष्यं हरते भर्तुर्मृता निरयमृच्छति ॥

(शिवपुराण,रुद्र०पार्वती०५४।४४;स्कन्दपुराण,
ब्रह्म० धर्मा० ७।३७)

नारी पत्यननुज्ञाता या व्रतादि समाचरेत्।
जीवन्ती दुःखिनी सा स्यान्मृतानिरयमृच्छति ॥

(स्कन्दपुराण, काशी० उ०८२।१३९)

४. **पतिसे बिना पूछे जो धर्मकार्य किया जाता है, वह पतिकी आयुको क्षीण कर देता है-**

अपृष्ट्वा यत्कृतं धर्म्यं भर्तारं तत्क्षयं नयेत्।
स्त्रीणां नास्त्यपरो धर्मो भर्तारं प्रोज्झय कश्चन।

(स्कन्दपुराण, वैष्णव० कार्तिक ०४।७२)

५. स्त्रीको चाहिये कि वह धोबिन, कुलटा, अधम और कलहप्रिय स्त्रियोंको कभी अपनी सखी न बनाये-

न रजक्या न बन्धक्या तथा श्रमणया न च।
न च दुर्भगया क्वापि सखित्वं कारयेत्क्वचित्॥

(शिवपुराण, रुद्र० पार्वती० ५४।३६)

६. मदिरापान, दुष्टोंका संग, पतिसे अलग रहना, स्वच्छन्द घूमना, अधिक सोना और दूसरेके घरमें निवास करना-ये छः बातें स्त्रियों में दोष उत्पन्न करने वाली हैं-

पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम्।
स्वप्नोऽन्यगेहवासश्च नारी संदूषणानि षट् ॥.

(मनुस्मृति ९।१३)

....स्वप्नोऽन्यगृहवासश्च नारीणां दूषणानिषट्॥

(स्कन्दपुराण, काशी० पू ० ४०।८९)

७. जिस स्त्रीने अपने जीवनमें चार पुरुषोंके साथ समागम कर लिया, उसे वेश्या समझना चाहिये। वह देवताओं और पितरोंके लिये भोजन बनानेकी अधिकारिणी नहीं है-

नारी वेश्या प्रविज्ञेया चतुष्पुरुषगामिनी।
पाके च पितृदेवानामधिकारो न तद्भवेत् ॥

(ब्रह्मवैवर्तपुराण, श्रीकृष्ण ०७५।६४)

८. जो स्त्री अपने पतिके लिये वशीकरणका प्रयोग करती है, उसके सारे धर्म व्यर्थ हो जाते हैं और वह दुराचारिणी स्त्री नरकमें ताँबेके भाड़में पन्द्रह युगोंतक जलायी जाती है। पति ही नारीका रक्षक है, पति ही गति है तथा पति ही देवता और गुरु है। जो उसके ऊपर वशीकरणका प्रयोग करती है, वह कैसे सुख पा सकती है? वह सैकड़ों बार पशु पक्षियोंकी योनिमें जन्म लेती और अन्तमें गलित कोढ़के

रोगसे युक्त स्त्री होती है-

कालेन पञ्चतां प्राप्ता गता नरकयातनाम्।
ताम्रभ्राष्ट्रे ह्यहं दग्धा युगानि दश पञ्च च ॥

(नारदपुराण, उ ०१४। ३६)

यान्यापि युवतिर्भूप भर्तुर्वश्यं समाचरेत्।
वृथाधर्मा दुराचारा दह्यते ताम्रभ्राष्ट्रके ॥

भर्ता नाथो गतिर्भर्ता दैवतं गुरुरेव च।
तस्य वश्यं चरेद्या तु सा कथं सुखमाप्नुयात् ॥
तिर्यग्योनिशतं याति कृमिकुष्ठसमन्विता।

(नारदपुराण, उ ०१४।३९ -४१)

९.स्त्रियोंका अपने भाई-बन्धुओंके यहाँ अधिक दिनोंतक रहना उनकी कीर्ति, शील तथा पातिव्रत्य-धर्मका नाश करनेवाला होता है-

नारीणां चिरवासो हि बान्धवेषु न रोचते।
कीर्तिचारित्रधर्मघ्नस्तस्मान्नयत माचिरम्।

(महाभारत, आदि ०७४।१२)

१०. पतिका निवास स्थान धन-वैभवसे रहित हो तो भी पत्नीको वहीं निवास करना चाहिये। उसके लिये पतिकी समीपताको ही सुवर्णमय मेरु पर्वत बताया गया है। स्त्रीके लिये पतिके निवास स्थानको छोड़कर अपने पिताके घर भी रहना वर्जित है। पिताके स्थान और आश्रयमें आसक्त होनेवाली स्त्री नरकमें डूबती है। वह सब धर्मोंसे रहित होकर सूकरयोनिमें जन्म लेती है-

भर्तृस्थाने हि वस्तव्यमृद्धिहीनेऽपि भार्यया।
स मेरुःकाञ्चनमयः सन्निधाने प्रचक्षते ॥
मनोरथो नाम मेरुयंत्र त्वं रमसे विभो।
भर्तृस्थानं परित्यज्य स्वपितुर्वापि वर्जितम् ॥
पितृस्थानाश्रयरता नारी तमसि मज्जति।
सर्वधर्मविहीनापिनारी भवति सूकरी ॥

(नारदपुराण, उत्तर०१३।१७-१९) ११. रजोधर्मसे युक्त स्त्रीकी प्रथम दिन चाण्डाली, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी और तृतीय दिन रजकी (धोबिन)

संज्ञा होती है। चौथे दिन वह शुद्ध होती है-

प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी (ब्रह्मघातकी)।
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहनिशुद्ध्यति ॥

(पाराशरस्मृति७।२०; अत्रिस्मृति५।४९; आंगिरसस्मृति ३८; आपस्तम्बस्मृति ७।४)

१२. पतिके कार्योंके लिये तो रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है, पर देवकार्य और पितृकार्यके लिये वह पाँचवें दिन शुद्ध होती है-

शुद्धा भर्तुश्चतुर्थेऽह्नि स्नानेन स्त्री रजस्वला।
दैवे कर्मणि पित्र्ये च पञ्चमेऽह्नि शुध्यति ॥

(शंखस्मृति १६।१७)

स्नाता स्त्री पञ्चमे योग्या दैवे पित्र्येच कर्मणि।

(अग्निपुराण १५६।१३)

शुद्धा भर्तुश्चतुर्थेऽह्नि न शुद्धा देवपैत्रयोः।
दैवे कर्मणि पैत्रे च पञ्चमेऽह्नि विशुद्ध्यति ॥

(ब्रह्मवैवर्तपुराण, गणपति ०२८।४)

संशुद्धा स्याच्चतुर्थेऽह्नि स्नाता नारी रजस्वला।
दैवे कर्मणि पित्र्ये च पञ्चमेऽहनि शुद्ध्यति ॥

(स्कन्दपुराण, प्रभास ०२०६१५१)

१३. स्त्रियोंके लिये विवाह-संस्कार ही वैदिक संस्कार (यज्ञोपवीत), पति-सेवा ही गुरुकुलवास (वेदाध्ययन) और गृहकार्य ही अग्निहोत्र-कर्म कहा गया है-

वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः।
पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया ॥

(मनुस्मृति २।६७)

१४. जो स्त्री अपने पतिके मनके अनुकूल चलती और सदा उसे सन्तुष्ट रखती है, वह अपने पतिके पुण्यका आधा भाग प्राप्त कर लेती है-

स्वपतेरपिपुण्यस्य योषिदर्धमवाप्नुयात्।
चित्तस्यानुव्रता शश्वद्वर्तते तुष्टिकारिणी ॥

(पद्मपुराण, उत्तर ०११२।२७)

१५. पिता या पिताकी अनुमतिसे भाई जिसके साथ विवाह कर दे, स्त्री जीवनभर उस पतिकी सेवा करे और उसके मरनेपर भी उसका उल्लंघन न करे।

यस्मै दद्यात्पिता त्वेनां भ्राता वानुमते पितुः।
शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं च न लङ्घयेत् ॥

(मनुस्मृति ५।१५१)

१६. भ्रमण करनेवाले राजा, ब्राह्मण और योगी सर्वत्र आदर पाते हैं, पर भ्रमण करनेवाली स्त्री नष्ट हो जाती है-

भ्रमन्सम्पूज्यते राजा भ्रमन्सम्पूज्यते द्विजः।
भ्रमन्सम्पूज्यते योगी स्त्री भ्रमन्ती विनश्यति ॥

(चाणक्यनीतिदर्पण ६।४)

१७. स्त्रीको कभी अपने पतिका नाम नहीं लेना चाहिये-

पत्युर्नाम न गृह्णीयात् कदाचन पतिव्रता।

(शिवपुराण, रुद्र ० पार्वती ०५४।१९)

१८. **स्त्रीको चाहिये कि वह घरके दरवाजेपर देरतक खड़ी न रहे। दूसरेके घर न जाय। कोई गोपनीय बात जानकर हरेकके सामने उसे प्रकट न करे-**

चिरन्तिष्ठेन च द्वारे गच्छेन्नैव परालये।
आदाय-तत्त्वं यत्किञ्चित् कस्मैचिन्नार्पयेत्क्वचित्॥

(शिवपुराण, रुद्र० पार्वती ०५४।२२)

१९. **साध्वी स्त्रीको चाहिये कि झाड़ने-बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदिसे घरको और मनोहर वस्त्राभूषणोंसे अपने शरीरको अलंकृत (सजाकर) रखे। सामग्रियोंको साफ-सुथरी रखे-**

सम्मार्जनोपलेपाभ्यां गृहमण्डलवर्तनैः।
स्वयंचमण्डिता नित्यं परिमृष्टपरिच्छदा ॥

(श्रीमद्भा ०७।११।२६)

२०. **पतिकी सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पतिके सम्बन्धियोंको प्रसन्न रखना और सर्वदा**

पतिके नियमोंकी रक्षा करना-ये पतिव्रता स्त्रियोंके धर्म हैं-

स्त्रीणां च पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता।
तद्बन्धुष्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद् व्रतधारणम् ॥

(श्रीमद्भा ०७।११।२५)

२१. जो लक्ष्मीजीके समान पतिपरायणा होकर अपने पतिकी उसे साक्षात् भगवान्का स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुण्ठलोकमें भगवत्सारूप्यको प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मीजीके समान उनके साथ आनन्दित होती है-

या पतिं हरिभावेन भजेच्छ्रीरिवतत्परा।
हर्यात्मना हरेर्लोके पत्या श्रीरिव मोदते ॥

(श्रीमद्भा ०७।११।२९)

२२. जिसका पुत्र जीवित है, वह नारी पतिके न रहनेपर भी विधवा (असहाय) नहीं

कहलाती। विधवा वही कहलाती है, जिसका न पति हो, न पुत्र हो-

जीवपुत्रा तु या नारी विधवेति न । चोच्यते।पतिपुत्रविहीना या विधवेत्युच्यते बुधैः ॥

(कपिलस्मृति ५९३)

२३. **स्त्रीपर पति अथवा पुत्रके द्वारा लिये गये ऋणको चुकानेका दायित्व नहीं है। उसपर उसी ऋणको चुकानेका दायित्व है, जो उसने पतिके साथ लिया है और उसे चुकाना स्वीकार किया है-**

**न स्त्री पतिकृतं दद्यादृणं पुत्रकृतं तथा।
अभ्युपेतादृते यद्वा सह पत्या कृतं तथा॥**

(नारदीयमनुस्मृति १।१३)